संख्या– 2351/III(2)/10–03(प्रा0आ0)/2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 05 अगस्त, 2010

विषयः– राजभवन नैनीताल के विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव श्री राज्यपाल के पत्र संः– 402/जी0एस0/ए–683(ए)/2010 दिनांक 03 मई, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन नैनीताल हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के आगणन, जिनकी कुल लागत रू0 192.12 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 180.07 लाख (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख सात हजार मात्र) की संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रति कार्य रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) अर्थात 04 कार्यो हेतु कुल रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः

2– स्वीकृत किये जाने वाले उक्त कार्य में उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संः– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्यक करा लिया जाए तथा प्रदत्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

12– कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाय, जिसमें **defect liability clause** का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

13– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

14– भविष्य में यदि प्राकलन का पुनरीक्षण किया जाता है तो अतिरिक्त पुनरीक्षित लागत पर कोई सेन्टेज देय नही होगा।

15– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 –लेखाषीर्शक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800 अन्य भवन–09 लोक निर्माण– नये कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– **273/XXVII(2)/ 2010 दिनांकः 03 अगस्त, 2010** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः– 2351 (1)/ III(2)/10–03(प्रा0आ0)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
4– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. अल्मोड़ा।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– वित्त आयोग/वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–2351 / III(2) / 10–03(प्रा0आ0) / 2010 दि0 05 अगस्त, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल लागत (लाख रू0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	6
1	राजभवन नैनीताल की सुरक्षा हेतु चारों ओर फेन्सिग वायर लगाकर बाउन्ड्रीवाल बनाने का कार्य।	163.20	151.49	1.00
2	राजभवन नैनीताल में मुख्य द्वार से महामहिम के उपयोगार्थ वैकल्पिक मार्ग का निर्माण।	5.43	5.25	1.00
3	राजभवन नैनीताल में गोल्फ कोर्स हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था का कार्य। (रेन वाटर हार्वेस्टिंग)	15.55	15.55	1.00
4	राजभवन नैनीताल के फलीट वाहनों हेतु गैराज की व्यवस्था का कार्य	7.94	7.78	1.00
	योगः–	192.12	180.07	4.00

Plus

(कुल चार लाख रूपये मात्र)

महिमा

(महिमा)
अनु सचिव